न्यायालय सं0–5

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0– 537/2026

रमेश कुमार सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, पुत्र श्री कपिल देव सिंह, निवासी–ग्राम–*Alamkhatopur*, पी0एस0–धीना, जिला–चन्दौली, वर्तमान में तैनात उप निरीक्षक, पी0एस0–शंकरगढ़, जिला–प्रयागराज, पी0एन0ओ0–982520523

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2– पुलिस आयुक्त, प्रयागराज।
3– अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट, प्रयागराज।
4– पुलिस उपायुक्त, गंगानगर, कमिश्नरेट प्रयागराज।

–––विपक्षीगण

निर्णय

द्वाराः माननीय श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्या0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13–06–2025 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉकित 31–08–2025 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी तथा आदेश दिनॉकित 09–02–2026 (संलग्नक सं0–3) जिसके माध्यम से उपर्युक्त दण्डादेशों के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका को निरस्त किया गया है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनॉक 08–10–1998 को आरक्षी के पद पर हुई थी। तदोपरान्त वर्ष 2007 में उसे मुख्य आरक्षी तथा वर्ष 2016 में उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। याची के अनुसार पुलिस उपायुक्त, गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज व्दारा उसे एक कारण बताओ नोटिस दिनॉकित 21–07–2024 (संलग्नक सं0–6) निर्गत की गयी जिसमें यह कथन किया गया कि “जब यह उप निरीक्षक वर्ष 2023 में थाना बहरिया, कमिश्नरेट प्रयागराज में थानाध्यक्ष बहरिया के पद पर नियुक्त था तब थाना बहरिया, प्रयागराज पर आवेदक श्री

शिवेन्द्र मिश्रा पुत्र महेन्द्र मिश्रा के शिकायती प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज के पृष्ठांकन आदेश के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, अभिसूचना, कमिश्नरेट प्रयागराज व्दारा सम्पादित की गयी जाँच आख्या से अवगत कराया गया है कि इनके व्दारा थाना स्थानीय क्षेत्र के एचएस प्रत्यक्ष द्विवेदी उर्फ गोलू दूबे पर संरक्षण प्राप्त होने एवं इनके कारखास सिपाही अर्पित से उक्त एचएस के मध्य प्रतिदिन घण्टों बातचीत होने सहित अन्य कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में कराई गयी प्रारम्भिक जाँच में उपलब्ध अभिलेखों एवं सम्बन्धित के अंकित बयानों का गहनता से अवलोकन/परिशीलन से पाया गया कि इनके व्दारा स्थानीय क्षेत्र के एक एचएस अभियुक्त जिसके विरूद्ध अकेले थाना स्थानीय पर ही कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं, से लगातार जरिये मोबाइल वार्ता करते रहने से प्रतीत हो रहा है, कि कहीं न कहीं इनके उक्त उचएस के सम्बन्ध थे तथा इनके व्दारा एचएस को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। इनका यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता का द्योतक है, जिसकी परिनिन्दा की जाती है।" याची का कथन है कि उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त उसके व्दारा सक्षम अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनाँक 29–07–2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके व्दारा सीडीआर की सत्यापित प्रति जिसके आधार पर प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी व्दारा उसे दोषी माना है, प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। याची का कथन है कि उसे वाँछित सीडीआर की सत्यापित प्रति प्रदान न किये जाने एवं कार्य की अधिकता, वी0आई0पी0 ड्यूटी आदि के कारण वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका तथा दण्डाधिकारी व्दारा उसके स्पष्टीकरण के आभाव में एक पक्षीय आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 13–06–2025 पारित कर दिया गया। याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–3 के समक्ष अपील (संलग्नक सं0–12) प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनाँकित 31–08–2025 व्दारा निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त याची व्दारा विपक्षी सं0–2 के समक्ष उपर्युक्त आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे भी आदेश दिनाँकित 09–02–2026 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के कारण उसके व्दारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3– विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच करायी गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर दण्डाधिकारी व्दारा बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 21–07–2024 निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची व्दारा

प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप दण्डाधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13-06-2025 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुयी है। विपक्षीगण द्वारा यह भी कहा गया कि याची द्वारा प्रस्तुत अपील व पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारियों द्वारा विचार करने के उपरान्त अपील व पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनॉकित 31-08-2025 व 09-02-2026 पारित किये गये हैं। अतः याची प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4- याची द्वारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके द्वारा विपक्षीगण द्वारा दाखिल लिखित-कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5- मेरे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में प्रारम्भिक जॉंचकर्ता अधिकारी द्वारा जॉंच के दौरान याची द्वारा दिये गये बयान पर बिना कोई विचार किये एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर याची को दोषी माना है जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

7- याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर मेरे द्वारा विचार किया गया तथा प्रकरण में सहायक पुलिस आयुक्त, हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा जॉंचोपरान्त दी गयी प्रारम्भिक जॉंच आख्या दिनॉकित 06-01-2024 जो पत्रावली पर संलग्नक सं0-4 के रूप में उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जॉंच अधिकारी द्वारा मात्र याची व आरक्षी अर्पित कुमार सिंह पीएनओ 182031423थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज के बयानों के आधार पर अपनी समीक्षा व निष्कर्ष में यह कथन किया गया कि ***"इस प्रकार सम्पूर्ण जॉंच से आवेदक श्री शिवेन्द्र मिश्रा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों एवं अलआईयू द्वारा दी गयी रिपोर्ट में अंकित अन्य तथ्यों/आरोपों की जॉंचोपरान्त प्रमाणिक पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किन्तु***

थानाध्यक्ष श्री रमेश कुमार व का0 अर्पित कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के एक एसएच अभियुक्त, जिसके विरुद्ध अकेले थाना स्थानीय पर ही कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं, से लगातार जरिये मोबाइल वार्ता करते रहने से यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं थानाध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंह व का0 अर्पित कुमार सिंह से उक्त एचएस प्रत्यक्ष द्विवेदी उर्फ गोलू दुबे के सम्बन्ध थे तथा इनके द्वारा उक्त एचएस को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, यह कृत्य एक लोक सेवक आचरण एवं पदीय दायित्वों के प्रतिकूल है, जिसके लिये तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंह व आरक्षी अर्पित कुमार दोषी हैं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा याची को बिना किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, ए0आई0आर0 1999पृष्ठ 761*** में दी गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया है कि कर्मचारी दण्डित करने के लिये पर्याप्त, विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य का होना आवश्यक है। कर्मचारी को निजी सोच अथवा कल्पना के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति में मेरे विचार से जाँच अधिकारी द्वारा दी गयी जाँच आख्या दूषित जाँच आख्या है और दूषित जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

8- याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13-06-2025 सकारण व मुखरित आदेश नहीं है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

9- उपरोक्त के सम्बन्ध में मेरे व्दारा आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13-06-2025 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि पुलिस उपायुक्त गंगानगर, कमिश्नरेट प्रयागराज व्दारा अपने आदेश में यह कथन करते हुए कि याची व्दारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में लगाये गये आरोप स्वीकार हैं और इस सम्बन्ध में उसे कुछ नहीं कहना है, उसे दण्डित किया गया है। जबकि दण्डाधिकारी का यह दायित्व था कि वह जाँच अधिकारी व्दारा दी गयी प्रारम्भिक जाँच आख्या दिनॉकित 06-01-2024 में याची व्दारा दिये गये बयान तथा समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार कर कोई आदेश पारित करते लेकिन दण्डाधिकारी व्दारा ऐसा न करके मात्र याची व्दारा स्पष्टीकरण न दिये जाने के आधार पर उसे दण्डित किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व्दारा रमेश मोहन शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व

अन्य, 2015 (33) एल0सी0डी0, 2807 में दी गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय व्दारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> ***"Non-participation of an employee in the enquiry would not entitle him to challenge the same on the ground of violation of principles of natural justice but it does not spare the employer from the duty to establish the charges of misconduct by leading appropriate evidence."***

10– उक्त सम्बन्ध में याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा मेरे समक्ष माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट–ए नं0–301/2023 उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह पुलिस अनुभाग–1, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य बनाम तेजपाल गौतम में पारित निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जिसका मेरे व्दारा अवलोकन किया गया जिसका प्रस्तर–9 महत्वपूर्ण है जो निम्नवत् हैः–

> ***"9. The punishment order merely states that the respondent did not submit his reply to the show cause notice and the disciplinary authority could not find any material on the basis whereof the respondent could be exonerated of the charges. The disciplinary authority has not mentioned any material which could establish the guilt of the respondent. The general Principle regarding discharge of the burden of proof applies to disciplinary proceedings also and for passing an order of punishment, it is necessary that the charges against the employee be established so as to prove the guilt and an employee can not be punished merely because he could not prove his innocence."***

उपरोक्त न्यायिक विधि व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान प्रकरण में याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँकित 13–06–2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दण्डादेश सकारण व मुखरित आदेश नहीं है। अतः इस आधार पर भी आलोच्य दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

11– अपीलीय अधिकारी व पुनरीक्षणकर्ता अधिकारी व्दारा भी याची व्दारा प्रस्तुत अपील व पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया और मात्र दण्डाधिकारी व्दारा पारित आदेश की पुष्टि की गयी है जिन्हें भी सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः अपीलीय आदेश दिनाँकित 31–08–2025 व पुनरीक्षण आदेश दिनाँकित 09–02–2026 भी स्थिर रहने योग्य नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँकित 13–06–2025 एवं एतद्पश्चात् पारित अपीलीय आदेश दिनाँकित 31–08–2025 व पुनरीक्षण आदेश दिनाँकित 09–02–2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की

याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 13–06–2025 (संलग्नक सं0–1), अपीलीय आदेश दिनॉंकित 31–08–2025 (संलग्नक सं0–2) व पुनरीक्षण आदेश दिनॉंकित 09–02–2026 (संलग्नक सं0–3) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त पारिणामिक सेवा लाभ पाने का अधिकारी है जो इन आदेशों व्दारा रोके गये हों। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय का अनुपालन निर्णय की सत्प्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/– ***(अनिता राज)***
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉंकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

दिनॉंकः 18–08–2026
एच0के0आर0/पी0एस0